संख्या-29 /2016/ 2336 सी0डी0/46-3-16-1000(28)/2016

प्रेषक

प्रमोद कुमार उपाध्याय ,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिला गन्ना अधिकारी/बीज उत्पादन अधिकारी,
बिजनौर,मुरादाबाद, फैजाबाद ।

चीनी उद्योग अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक: 22 नवम्बर, 2016

विषय-वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या-23 **(सामान्य/आयोजनागत)** के अन्तर्गत **चीनी मिल क्षे**त्रों में निर्मित सम्पर्क मार्गो के सुदृढ़ीकरण एवं पुनर्निर्माण के लिए अनुपूरक बजट के माध्यम से प्राविधानित धनराशि से अंशदायी आधार पर कृषि विपणन सुविधाओं के लिये अन्तर्ग्रामीण सड़कों का निर्माण कार्य हेतु पुनविनियोजित करते हुए सड्क निर्माण कार्य से संबंधित प्रस्तावित कार्ययोजना की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2016-17 के **अनुदान संख्या-23 (सामान्य/आयोजनागत)** के अन्तर्गत पूँजी लेखा शीर्षक-**''5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय-आयोजनागत 04-जिला तथा अन्य सड़के-337-सड़क निर्माण कार्य-04-चीनी मिल क्षे**त्रों में निर्मित सम्पर्क मार्गो के सुदृढ़ीकरण एवं पुनर्निर्माण**-24-वृहत् निर्माण कार्य'' मद में हो रही बचत की धनराशि** रू0 3,87,68,000/-(रू0 तीन करोड सत्तासी लाख् अड्सठ हजार मात्र) को **अनुदान संख्या-23 (सामान्य/आयोजनागत)** के अन्तर्गत पूँजी लेखा शीर्षक-**''5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय-आयोजनागत 04-जिला तथा अन्य सड़के-337-सड़क निर्माण कार्य-03-कृषि विपणन सुविधाओं के लिये अन्तर्ग्रामीण सड़कों का निर्माण (जिला योजना)-24-वृहत् निर्माण कार्य'' मद में संलग्नक-2 (प्रप**त्र वी0एम0-9**)** के अनुसार, पुनविनियोजित **करते हुए,** चीनी मिलों के सुरक्षित क्षेत्रों में यातायात की सुगम व्यवस्था उपलब्ध कराये जाने हेतु अंशदायी आधार पर **कृषि विपणन सुविधाओं के लिये अन्तर्ग्रामीण सड़कों का निर्माण (जिला योजना) के अन्तर्गत शासनादेश के संलग्नक-1 में उल्लिखित 10 सडकों का निर्माण कार्य कराने हेतु, संलग्नक-1 के कालम-6 में अंकित** लागत की धनराशि के अनुसार कुल रू0 4,84,60,300/- (रू0 चार करोड चौरासी लाख् साठ हजार तीन सौ मात्र) की कार्ययोजना का प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान करते हुये धनराशि अंकन रू0 3,87,68,000/- (रू0 तीन करोड सत्तासी लाख् अड्सठ हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति सहित अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान करते है कि जनपद विशेष में उसी सीमा तक धनराशि आहरित की जायेगी, जिस सीमा तक जनपद की जिला योजना में परिव्यय का प्रावधान/आंवटन किया गया है।

2- जिला गन्ना अधिकारी/बीज उत्पादन अधिकारी द्वारा योजना में लाभान्वित संस्थाओं से अपेक्षित 20 प्रतिशत अंश प्राप्त करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा शासकीय अंश का भुगतान तभी किया जायेगा जबकि सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित किये गये आगणनों के अनुसार ही व्यय किया गया होने की पुष्टि कर दी जाय।

3- प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य हेतु स्वीकृत की जा रही है उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा तथा कार्य की विशिष्टियां मानक व गुणवत्ता के साथ कराये जाने की जिम्मेदारी संबंधित कार्यदायी संस्था तथा जिला गन्ना अधिकारी/बीज उत्पादन अधिकारी की होगी। निहित प्रयोजन हेतु उपयोग से यदि कोई धनराशि अवशेष बचती है तो उसे व्यय करने के संबंध में प्रस्तर-1 के अनुसार शासकीय अंशदान के सापेक्ष विभागीय अशंदान को सम्मिलित करते हुये जिला अनुश्रवण समिति से अतिरिक्त कार्ययोजना स्वीकृत कराकर उस पर शासन का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा। अन्यथा की स्थिति में अवशेष धनराशि चालू वित्तीय वर्ष में ही वित्त विभाग को समर्पित कर दी जायेगी।

--------2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- समस्त कार्यों हेतु कार्यदायी संस्था, अभियन्त्रण शाखा, कार्यालय गन्ना आयुक्त, उ0प्र0 होगी। समस्त कार्य निर्धारित एवं अनुमोदित मानकों तथा विशिष्टियों के अनुरूप चालू वित्तीय वर्ष में ही सम्पादित कराये जायेगे। यदि किसी अपरिहार्य परिस्थितिवश निर्धारित मानकों/विशिष्टियों में परिवर्तन किया जाना अपेक्षित हो तो उक्त परिवर्तन/ विचलन शासन की पूर्वानुमति से ही किया जाये।

5- वर्तमान में प्रभावी शासनादेश संख्या-ए-2-23/दस-2011-17(4)/75 दिनांक 25.01.2011 तथा शासनादेश संख्या ए-1606/दस-2014-17(4)/75 दिनांक 11.11.2014 की व्यवस्थानुसार सेण्टेज चार्जेज की धनराशि अनुमन्य होगी तथा कार्यदायी संस्था द्वारा शासकीय धन पर यदि ब्याज अर्जित किया जाता है तो उसे राजकोष में जमा कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

6- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि में से संलग्नक के **स्तम्भ-9** में अंकित सेन्टेज की धनराशि जिला गन्ना अधिकारी/बीज उत्पादन अधिकारी द्वारा कोषागार से आहरित कर सीधे ही कार्यदायी संस्था, अभियन्त्रण शाखा, कार्यालय गन्ना आयुक्त, उ0प्र0 को एवं संलग्नक के **स्तम्भ-8** में वानिकीकरण हेतु अंकित धनराशि जनपद स्तर पर वन विभाग के संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी को उपलब्ध करायी जायेगी तथा **स्तम्भ-10** में अंकित धनराशि कोषागार से आहरित करते हुये गन्ना विकास परिषदों को स्वीकृत निर्माण कार्यों पर व्यय हेतु उपलब्ध करायी जायेगी।

7- प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि के सापेक्ष व्यय वित्त विभाग द्वारा निर्गत कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22 मार्च, 2016 में उल्लिखित शर्तों के अनुसार एवं अन्य आदेशों में दिये गये निर्देशों के अनुसार तथा बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों, स्थायी आदेशों एवं प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय तथा किसी भी दशा में प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग किसी अन्य मद में न किया जाय तथा आहरित धनराशि बैंक, पी0एल0ए0, पोस्ट आफिस अथवा डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।

8. जिला गन्ना अधिकारी बीज उत्पादन अधिकारी के स्तर से यह सुनिश्चित किया जायेगा कि स्वीकृत किये जा रहे कार्यो हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य श्रोत से धनराशि स्वीकृत न की गयी हो तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्ययोजना में सम्मिलित हो।

9- प्रस्तर-1 में स्वीकृत की जा रही धनराशि अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के शासनादेश संख्या-**1533/52-3-2013-सा(30)/13,** दिनांक 14 अगस्त, **2013** में अल्पसंख्यकों के लिये **20** प्रतिशत एवं समाज कल्याण विभाग के शासनादेश संख्या-**285/26-3-2014-3(15)/2007**-टी0सी0, दिनांक **03** मार्च, 2014 के अनुसार **17** पिछडी जातियों हेतु **7.5** प्रतिशत तथा वन विभाग के शासनादेश संख्या-**2464/14-5-2015-123/2015**, दिनांक **20** अक्टूबर, **2015** के अनुसार **0.5** प्रतिशत मात्राकरण करते हुए व्यय की जायेगी।

10- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद को एवं गन्ना आयुक्त, उ0प्र0 के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराया जायेगा तथा कार्य पूर्ण होने का प्रमाण पत्र जिला गन्ना अधिकारी/बीज उत्पादन अधिकारी द्वारा गन्ना आयुक्त, उ0प्र0 को उपलब्ध कराया जायेगा। इसके अतिरिक्त कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति आख्या, समेकित रूप से गन्ना आयुक्त, उ0प्र0 के माध्यम से शासन को प्रत्येक माह नियमित रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

11- प्रस्तर-1 में दी जा रही प्रशासकीय व वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष जनपद स्तर पर कराये जाने वाले निर्माण कार्यो, जो स्थल पर चिन्हांकित एवं सत्यापन योग्य हों, का स्थलीय निरीक्षण भी नियमित रूप से एक स्तर उच्च तकनीकी एवं गैर तकनीकी अधिकारियों की संयुक्त टीम के द्वारा किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

12- शासनादेश के अनुसार स्वीकृत निर्माण कार्यो के सापेक्ष प्रस्तावित कार्य को पूर्ण कर लिये जाने पर पारदर्शिता तथा सामान्यजन को पूर्ण जानकारी प्राप्त होने के दृष्टिगत पूर्ण कार्यो का विवरण विभागीय वेबसाइट पर जनपदीय अधिकारियों के द्वारा अनिवार्य रूप से अपलोड भी किया जायेगा।

--------3

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

13- उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के **अनुदान संख्या-23 (सामान्य/आयोजनागत)** के अन्तर्गत पूँजी लेखा शीर्षक-**''5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय-आयोजनागत 04-जिला तथा अन्य सड़के-337-सड़क निर्माण कार्य-03-कृषि विपणन सुविधाओं के लिये अन्तर्ग्रामीण सड़कों का निर्माण (जिला योजना)-24वृहत् निर्माण कार्य''** के नामे डाला जायेगा।

14- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22 मार्च, 2016 एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-20/2016/बी-2-1275/दस-2016-244/2016, दिनांक 29 अगस्त, 2016 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत तथा वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6 के अशा0 संख्या- ई-6/ 726-दस-16, दिनांक 21-11-2016 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहें हैं।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(प्रमोद कुमार उपाध्याय)
विशेष सचिव ।

संख्या-29 /2016/ 2336(1)सी0डी0/46-3-16-1000(28)/2016-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- महालेखाकार (लेखा हकदारी), प्रथम/ द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- महालेखाकार,(आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा, उ0प्र0, छठां तल, केन्द्रीय भवन,सेक्टर-एच,अलीगंज, लखनऊ।
4- प्रमुख सचिव, समाज कल्याण अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन।
5- प्रमुख सचिव, वन अनुभाग-5, उ0प्र0 शासन।
6- सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन।
7- गन्ना आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
8- प्रमुख वन संरक्षक, उ0प्र0, लखनऊ।
9- निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
10- वित्त नियंत्रक, कार्यालय गन्ना आयुक्त, उ0प्र0, लखनऊ।
11- संबंधित जनपदों के मण्डलायुक्त।
12- संबंधित जनपदों के जिलाधिकारी।
13- संबंधित जनपदों के प्रभागीय वनाधिकारी, उ0प्र0।
14- संबंधित जनपदों के कोषाधिकारी।
15- संबंधित क्षेत्रीय उप गन्ना आयुक्त/संयुक्त गन्ना आयुक्त, उ0प्र0।
16- नियोजन अनुभाग-3/राज्य योजना आयोग-1/2,
17- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6/वित्त (बजट) अनुभाग-1,
18- गार्ड फाइल।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार

आज्ञा से,

(प्रमोद कुमार उपाध्याय)
विशेष सचिव ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

शासनादेश संख्या-29 /2016/ **2336सी0डी0 /46-3-16-1000(28)/2016 दिनांक 22 नवम्बर, 2016**

का संलग्नक-1

वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या-23 **(सामान्य/आयोजनागत)** के अन्तर्गत **चीनी मिल क्षे**त्रों में निर्मित सम्पर्क मार्गो के सुदृढ़ीकरण एवं पुनर्निर्माण के लिए अनुपूरक बजट के माध्यम से प्राविधानित धनराशि से अंशदायी आधार पर कृषि विपणन सुविधाओं के लिये अन्तर्ग्रामीण सड़कों का निर्माण कार्य हेतु पुनविनियोजित करते हुए सड़क निर्माण कार्य से संबंधित **स्वीक्रत कार्ययोजना/धनराशि**

क्र0	जनपद का नाम	संख्या	सम्पर्क मार्ग का नाम	लम्बाई (कि0मी0)	आकलित लागत (लाख रूपयें में)	शासनादेश के अनुसार लागत पर देय राज्यांश 80 प्रतिशत (ला0रू0)	देय राज्यांश की धनराशि में 0.50 प्रतिशत वानिकीकरण की धनराशि (ला0रू0)	राज्यांश में शासनादेश संख्या ए-2-23/ दस-2011-17 (4)/75 दिनांक 25.01.11के द्वारा आरोपित सेन्टेज धनराशि (ला0रू0)	मार्ग के निर्माण हेतु सेन्टेज की धनराशि रहित राज्यांश (ला0रू0)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	बिजनौर	1	हादकपुर से मिर्जापुर से तिपरजोत मार्ग का अवशेष भाग	1.000	49.490	39.59	0.20	4.36	35.03
		2	ग्राम अकबरपुर तिगरी से राजोपुर बहमन सम्पर्क मार्ग (अल्पसंख्यक)	1.250	61.093	48.87	0.24	5.38	43.25
		2	**;kx&**	**2.250**	**110.583**	**88.46**	**0.44**	**9.74**	**78.28**
2	मुरादाबाद	1	नहटौर से मनकुआ मकसूदपुर सम्पर्क मार्ग द्वितीय भाग (अल्पसंख्यक)	1.100	56.280	45.02	0.23	4.96	39.83
		1	**;kx&**	**1.100**	**56.280**	**45.02**	**0.23**	**4.96**	**39.83**
3	फैजाबाद	1	डाभासेमर नहर से मलिकपुर मार्ग	0.500	28.370	22.70	0.11	2.50	20.09
		2	रसूलाबाद से घुरीटीकर वाया डेहरिया बिबियापुर मार्ग	1.500	71.520	57.22	0.29	6.30	50.63
		3	सनेथू भगवाभीट से मूसे पान्डेपुरवा मार्ग	1.000	43.860	35.09	0.18	3.86	31.05
		4	फैजाबाद अम्बेडकरनगर रोड से चट्टिया मार्ग (पिछडी जाति)	0.530	23.830	19.06	0.10	2.10	16.86

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

		5	कुढाकेशवपुर से बडकापुरवा मार्ग (पिछडी जाति)	1.200	71.090	56.87	0.28	6.26	50.33
		6	कछौली से तारडीह मार्ग	1.250	72.170	57.74	0.29	6.36	51.09
		7	सैदपुर से हाजीपुर सम्पर्क मार्ग अवशेष भाग	0.150	6.900	5.52	0.03	0.61	4.88
		7	**योग**	**6.130**	**317.740**	**254.20**	**1.28**	**27.99**	**224.93**
		10	**महायोग**	**9.480**	**484.603**	**387.68**	**1.95**	**42.69**	**343.04**

(रू0 तीन करोड सत्तासी लाख् अड्सठ हजार मात्र)

(प्रमोद कुमार उपाध्याय)
विशेष सचिव,

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

पुनर्विनियोग के लिये आवेदन/स्वीकृति

सन्दर्भ: बजट मैनुअल का प्रस्तर&158

अनुदान संख्या व नाम:&23 गन्ना विकास विभाग गन्ना (आयोजनागत)

वित्तीय वर्ष: 2016-17

प्रपत्र&बी0एम0-9 (भाग&1) **(धनराशि हजार रूपये में)**

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण				**वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा**	
लेखाशीर्ष (15 डिजिट कोड में/आयोजनेत्तर)	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान/ विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध धनराशि	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात अनुदान/ विनियोग (2-5)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
अनुदान संख्या-23 (**आयोजनागत)** 5054-**सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय** **04-जिला तथा अन्य सड़के-** **337-सड़क निर्माण कार्य-** **04-चीनी मिल क्षे**त्रों में निर्मित सम्पर्क मार्गो के सुदृढ़ीकरण एवं पुनर्निर्माण- **24-वृहत् निर्माण कार्य'**	450000	38768	38768	38768	4111232
निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण				**वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा**	
लेखा शीर्ष(15 डिजिट कोड में/आयोजनेत्तर)	वित्तीय वर्ष के लिये उपलब्ध अनुदान/ विनियोग	वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय	संक्रमण हेतु प्रत्याशित धनराशि (9-8)	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात् उपलब्ध अनुदान / विनियोग (8+11)
7	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
अनुदान संख्या-23 (**आयोजनागत)** **''5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय** **04-जिला तथा अन्य सड़के-** **337-सड़क निर्माण कार्य**	500000	538768	38768	38768	538768

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

03-कृषि विपणन सुविधाओं के लिये अन्तर्ग्रामीण सड़कों का निर्माण (जिला योजना)- **24-वृहत् निर्माण कार्य**					

(**रूपये तीन करोड़ सत्तासी लाख अड़सठ हजार मात्र**)

नोट— कतिपय महत्वपूर्ण सम्पर्क मार्गो के निर्माण कराये जाने हेतु धनराशि को पुनर्विनियोग अरिहार्य होने के कारण पुनर्विनियोग किया जा रहा है ।

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर&150,151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों परिसीमाओं का उल्लघंन नही होता है।

संख्या[1] आर.ई.@ दिनांक नवम्बर, 2016

सेवा में]

महालेखाकार ¼लेखा एवं हकदारी½ प्रथम

उत्तर प्रदेश] इलाहाबाद।

(प्रमोद कुमार उपाध्याय)
विशेष सचिव
चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग
उत्तर प्रदेश शासन।

(योगेन्द्र दत्त तिपाठी)
संयुक्त सचिव
वित्त विभाग
उत्तर प्रदेश शासन।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

उत्तर प्रदेश शासन

चीनी उदयोग अनुभाग 3

संख्या-**29 /2016/**2336@46-3-16-1000(**28**)/20**16**

लखनऊ: दिनांक: 22 नवम्बर, 2016

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित&

1- महालेखाकार (लेखा हकदारी), प्रथम/ द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।

2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।

3- महालेखाकार,(आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा, उ0प्र0, छठां तल, केन्द्रीय भवन,सेक्टर-एच,अलीगंज, लखनऊ।

4- प्रमुख सचिव, समाज कल्याण अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन।

5- प्रमुख सचिव, वन अनुभाग-5, उ0प्र0 शासन।

6- सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन।

7- गन्ना आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

8- प्रमुख वन संरक्षक, उ0प्र0, लखनऊ।

9- निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।

10- वित्त नियंत्रक, कार्यालय गन्ना आयुक्त, उ0प्र0, लखनऊ।

11- संबंधित जनपदों के मण्डलायुक्त।

12- संबंधित जनपदों के जिलाधिकारी।

13- संबंधित जनपदों के प्रभागीय वनाधिकारी, उ0प्र0।

14- संबंधित जनपदों के कोषाधिकारी।

15- संबंधित क्षेत्रीय उप गन्ना आयुक्त/संयुक्त गन्ना आयुक्त, उ0प्र0।

16- नियोजन अनुभाग-3/राज्य योजना आयोग-1/2,

17- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6/वित्त (बजट) अनुभाग-1,

18- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(प्रमोद कुमार उपाध्याय)

विशेष सचिव,

उ0प्र0 शासन

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in